

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं/44.2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....)अ - . (केन्द्रीय सरकार ,माल और सेवा कर अधिनियम ,2017 )2017 का12 ( ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 168 के अनुसरण में और आयुक्त ,केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम ,2017 के नियम 40 के उप-नियम) 1 (के खंड) ख (में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में घोषणा करने के लिए , जो इस प्रभावी महीनों को माह जुलाई ,2017 ,अगस्त ,2017 और सितम्बर ,2017 के दौरान पात्र हो गए हैं ,जिन्हें 31 अक्टूबर ,2017 तक उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा) 1 ( के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के वे पात्र हैं ,समय सीमा विस्तारित करते हैं।

[फा .सं .349/74/2017-जीएसटी) पीटी.]

) डॉ .श्रीपार्वती एस.एल (   
अवर सचिव ,भारत सरकार